


॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांक: प.11(01)प्रशि. / पोलोसी / 2015 / ६१४७ - ६२३० दिनांक: २०/८/१५


स्थाई आदेश क्रमांक- १३/२०१५

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3) के तहत सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप निरीक्षक पुलिस के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यार्थियों को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित निर्देश/ आदेश के व्यतिक्रम में सहायक उप निरीक्षक पुलिस से उप निरीक्षक पुलिस का संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित जाता है।


(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
6. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी अजमेर/ जोधपुर।
8. प्रधानाचार्य आरपीटीसी जोधपुर।
9. कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कुल, जोधपुर/ किशनगढ़/ खैरवाड़ा/ झालावाड़/ बीकानेर/ अलवर/ भरतपुर/ पीएमडीएस बीकानेर।
10. कमाण्डेन्ट पुलिस कमाण्डो ट्रेनिंग स्कुल, जोधपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस
सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि—10 सप्ताह, परीक्षा अवधि—1 सप्ताह)

1	कुल अवधि	77 दिन
2	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन	60 दिन
3	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 60 (दिवस) \times 6 (कालांश)	360 कालांश
4	बहिरंग प्रशिक्षण के लिय 60 (दिवस) \times 2 (कालांश)	120 कालांश
5	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं	3 दिन
6	इन्डोर परीक्षाएं	3 दिन
7	खेल 60x1	60 कालांश

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

- आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
 - आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक भूल्यांकन) अंकों के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
 - समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षायें मरकेट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मरकेट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मरकेट्री व फायरिंग परीक्षां की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रतरुत की जावेगी।
 - परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा। बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नति परीक्षा के लिए आयोजित वयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहीं होगा।
 - अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
- | | |
|--|------------|
| 1. महानिरीक्षक पुलिस | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. कमाण्डेण्ट / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | सदस्य सचिव |

राजस्थान पुलिस

सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

विवरण

प्रश्न पत्र — ।

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 96

मॉड्यूल-एक — वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी

कालांश — 36

अ— भारतीय दण्ड संहिता —

कालांश 10

1. धारा 21 से 25, 28, 30, 34, 52क, 75 सामान्य अपवाद धारा 76 से 106, 304 वी
2. धारा 295 रो 298 तक, 498ए, 406, 153क, 295-298
3. धारा 107 से 117, 120, 120ख, 159, 160 से 165, 191 से 195, 212, 257, 319 रो 322, 34, 149, 509, 511

ब—दण्ड प्रक्रिया संहिता —

कालांश 16

1. परिभाषा — धारा 2
2. गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान (धारा 41,41क,41ख,41ग,41घ), 42, 46, 47, 50, 50क, 51, 57, 60
3. लोक शान्ति गंग होने संबंधी प्रावधान धारा 106 से 124, 129 से 152
4. तलाशी — धारा 100,102,467 से 473
5. जग्नात — धारा 436 से 439 तक

स—साक्ष्य अधिनियम —

कालांश 10

1. परिभाषा — धारा 3- तथा, दस्तावेज, सुसंगत, विवाद्यक तथ्य, साक्ष्य, उपचारणा
2. रघीकृति एवं सर्वीकृति — धारा 23 से 27,
3. विशेषज्ञ की राय व साक्ष्य — धारा 45 से 47,159,160
4. साक्ष्य की सक्षमता धारा 113ए, 113बी, 114ए, 118 से 134

अ— अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश 04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 299, 300, 82, 83

ब— व्यावहारिक कार्य

कालांश 10

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य — प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन को एकत्र करने की सावधानियाँ व उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को चैक करना, अनुसंधान की कार्य योजना बनाना, साक्ष्य का चार्ट बनाना, राबूतों की सुरक्षा गवाई, मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफतारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिग रिपोर्ट, पूछताछ के तरीके व पूछताछ की रिपोर्ट बनाना।

स— विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. हत्या एवं मानव वध, मारपीट व बलवा, आपराधिक अतिचार व हत्या का प्रयास कालांश 08
 - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 304, 306, 323 से 330, 341, 342, 307 व 308 एवं 141 से 153क तक, 447 से 460, 504, 511
 - साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
 - अनुसंधान धारा 302 भा०द०सं० की पूर्ण पत्रावली तैयार करना
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण धारा 302 व 304 भा०द०सं०
 - धारा 302, 304, 325, 326, 307, 308 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
 - धारा 34 व 149, 447, 448, 451, 452 में अन्तर व लागू करने की परिस्थितियाँ
 - अनुसंधान पत्रावली से रक्तूनी नोट बनाना धारा 456, 457

2. चोरी, नक्बजनी, उद्दापन, लूट एवं डकैती इनका प्रयास कालांश 08
 - भारतीय दण्ड संहिता धारा 378, 379, 380, 381, 382, 384, 392, 399, 402 से 409, 457, 458, 461, 411, 413, 414, 511
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानकारी
 - अनुसंधान पत्रावली धारा 395 भा०द०सं० तैयार करना
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 27, 32(1) फर्द इतला, फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी।
 - चोरी, नक्बजनी, लूट व डकैती के प्रकरणों में सुराग जुटाना / कार्यप्रणाली / अपराधी रिकार्ड / मुख्यबिर मामूल करना तथा एम०ओ०बी० से अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
 - रक्तूनी नोट बनाना।

3. राजकार्य में व्यवधान एवं सार्वजनिक सम्पति का नुकसान कालांश 04
 - धारा 186, 332, 333, 353 व 3 पी०डी०पी०पी० एक्ट
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही व एकत्रित किये जाने वाले साक्ष्य
 - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
 - रक्तूनी नोट बनाना।

4. महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण एवं बलात्कार संबंधी प्रकरण कालांश 04
 - भारतीय दण्ड संहिता धारा 354 रो 377, 506, 509, 511 एवं नवीनतम संशोधन
 - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
 - दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत बयान कराने बाबत जानकारी

- धारा 376 की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।

- स्क्रूटनी नोट बनाना।

- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

5. धोखाधड़ी एवं कपटपूर्ण दस्तावेजों के प्रकरण

कालांश 08

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 193, 403, 411, 415 से 420, 467, 468, 471

- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही एवं योजना बनाना।

- भारतीय दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 31 के बारे में नोटिस का प्रारूप बनाना/ दस्तावेज तलब करने हेतु नोटिस तैयार करना।

- विवादग्रस्त दस्तावेज व विवाद इहित दस्तावेज प्राप्त करना।

- विवादग्रस्त हस्तालेख, हस्ताक्षर, विवाद रहित हस्तालेख व हस्ताक्षर लेना तथा लिये गये नमूने को मिलान हेतु एफ0एस0एल0 भिजवाना व राय प्राप्त कर उस पर कार्यवाही करना।

- भूमि संबंधी प्रकरणों में राजस्व रिकार्ड का अध्ययन, राजस्व अधिकारियों की भूमिका

- मिथ्या दस्तावेज व कूट रचित दस्तावेज में अन्तर करना।

- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

- प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।

- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना।

6. आत्महत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण

कालांश 06

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 107 से 114, 306

- घटनारथ्त से साक्ष्य एकत्रित करना, एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।

- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना।

- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।

7. मर्ग

कालांश 08

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174

- मर्ग की सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करना।

- तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।

- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना।

- एफ0एस0एल0 विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना।

- घटनारथ्त से साक्ष्य एकत्रित करना।

प्रश्न पत्र – II

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांक :— 100

कालांश :— 96

मॉड्यूल-तीन – विविध अधिनियम

कालांश :— 60

1. एन0डी0पी0एस0एकट- 1985

कालांश 16

- एन0डी0पी0एस0 अधिनियम—1985 धारा 2, 8, 20, 41, 42, 50, 53
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
- स्क्रूटनी तैयार करना

2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

कालांश 08

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम—1961 की धारा — 1 से 4, 11 क व ख,
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- स्क्रूटनी नोट तैयार करना

3. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम – 1984 (पीडीपीपी एकट)

कालांश 08

- महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 3,4,5
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
- स्क्रूटनी नोट तैयार करना

4. राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम –1995

कालांश 08

- महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देना धारा 1, 3, 5, 8
- सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
- प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
- स्क्रूटनी नोट तैयार करना

5. अन्य अधिनियमों की जानकारी

कालांश 20

- शास्त्र अधिनियम – 1959 धारा 3, 4, 7, 8, 19, 25, 27 से 30, 39
- पशु क्रता अधिनियम – 1960 धारा 2, 11, 13, 20, 26
- जुआ अद्यादेश धारा 3 से 5, 13
- मानव अंगो का प्रत्यारोपण अधिनियम—1994 धारा 2 से 4, 18 से 20
- राजस्थान धूम्रपान प्रतिशेष अधिनियम – 1999 धारा 2, 3, 5 से 11
- मोटर वाहन अधिनियम
- मृत्यु भोज निवारण अधिनियम—1960
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम—1972
- कापी राईट एकट- 1957
- ईनामी विट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधि0 1978

मॉड्यूल-चार – निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश-36

अ—परिशान्ति व सदाचार बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 16

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 106 से 110, 116, 117, 122, 151।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियों एवं इस्तगासा तैयार करना।

ब—लोक व्यवस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 06

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 से 132, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 व 144क, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लंघन करने पर 188 भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही

स—लोक न्यूसेन्स हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश 04

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना

द—भूमि संबंधी विवादो पर परिशान्ति भंग होने की आशंका में निरोधात्मक कार्यवाही कालांश 04

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 व 146, परिस्थितियों एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. इस्तगासा तैयार करना
3. रिसिवरी में सम्पत्ति को लेना रिसिवरी के अधिकार व कर्तव्य के संबंध में

य—गुण्डा एकट एवं एच.ओ. एकट के प्रमुख प्रावधानो की जानकारी कालांश 04

र— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 174 एवं 176 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना।

कालांश 02

प्रश्न पत्र – III
पुलिस थाना / कार्यालय की कार्यप्रणाली

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 84

इयूल-पांच -- थाना प्रबन्धन एवं संचालन

म-विधिक प्रावधान -

कालांश 20

- राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 3.1, 3.2, 3.10 से 3.14, 3.34, 3.37 से 3.40, 5.1, अध्याय 6 एवं 7
- राजस्थान पुलिस एकट - 2007 की धारा 2, 10, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 32 से 39, 43, 44, 55, 60
- राजस्थान पुलिस नियम - 2008 - सामान्य जानकारी
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम - 2012 परिचय, सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम - 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 18 व 19

ब-दैनिक कार्यवाही -

कालांश 24

- रोलकॉल की उपयोगिता
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर रकीम, हार्ड कोर क्रिमिनल रकीम, सीएलजी
- बीट प्रणाली - सम्पूर्ण बीट वर्क मोड़यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुख्यबिंदु बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्व, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ोसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.ए.ल.जी.सदस्यों से समन्वय
- बीट अधिकारी / कर्मचारी का समुचित पर्यवेक्षण।
- यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)

स- थाना अधिकारी / द्वितीय व ढ्यूटी ऑफिसर की भूमिका-

कालांश 28

- थाने पर प्राप्त सूचना पर कार्यवाही (पुलिस रेसोर्स टाईम) :- परिवाद, एफआईआर, कानून व्यवस्था आपराधिक आसूचना आदि।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा कार्यवाही पुलिस लिखने का महत्व
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन।
- गिरफ्तार व्यतियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- महिलाओं / बालकों के सम्बन्ध में नवीनतम सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- कानून व्यवस्था ड्यूटी में बाहर से आने वाले जाप्ते का समायोजन एवं प्रबन्ध
- थाने पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, अनुसंधान अधिकारियों का पर्यवेक्षण
- थाने पर उपलब्ध बलों के कल्याण एवं मैस व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध
- महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं सौकर्य पर जाकर स्थिति को सम्भालना।
- सीएलजी एवं शान्ति समिति के कार्यों में थानाधिकारी की भूमिका

द- पुलिस लाईन में उप निरी 0 के एलओ 0 एवं चालानी गार्ड इन्चार्ज के रूप में भूमिका कालांश 04

य- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा एवं विशेष शाखा की जानकारी

कालांश 04

र- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / उप अधीक्षक कार्यालय में रीडर के कार्यों की जानकारी कालांश 04

प्रश्न पत्र - IV

नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार, विधि विज्ञान एवं कम्प्यूटर

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 84

माड्यूल-छ:-

अ. नेतृत्व कौशल एवं मानव व्यवहार

1. संगठनात्मक व्यवहार - (Organizational behaviour) कालांश-12

- संचार – मौखिक, लिखित, सांकेतिक व्यवहार विश्लेषण (Communication- oral, written, non verbal, transnational analysis)
- ग्रुप गतिकी एवं समूह निर्माण (Group dynamics and team building)
- नेतृत्व (Leadership)
- अभिप्रेरण (Motivation)

2. मानव व्यवहार (Human Behaviour) कालांश-12

- व्यक्तित्व के प्रकार (Types of personality)
- नेतृत्व कौशल (Leadership skill)
- शक्ति एवं प्राधिकार (Power and authority)
- शक्ति के प्रकार (Types of power)
- नेतृत्व एवं निर्णय लेने के तरीके (Leadership and decision making styles)
- नेतृत्व एवं सशक्तिकरण (Leadership and empowerment)
- अभिप्रेरण: व्यक्तिगत एवं पारिस्थितिक कारक (Motivation ; personal and environmental factors)

3. नैतिक व्यवहार (Ethical behaviour) कालांश-12

- पुलिस के कार्यों में नैतिकता का अनुप्रयोग
- समाज का नैतिकता के प्रति सामान्य दृष्टिकोण
- व्यावसायिक नैतिकता
- लोक सेवा की अवधारणा
- पुलिसिंग के मूलभूत सिद्धान्त
- लोकतंत्र एवं विधि का शासन- न्याय एवं निर्णय, स्वतन्त्रता, सम्मान, पुलिस आचार संहिता
- पुलिस कार्यों में नैतिक दृष्टिकोण- आपराधिक प्रकरणों का पंजीकरण, अनुसंधान एवं अभियोजन
- महिलाओं, बच्चों एवं दरिघजनों से व्यवहार

कालांश – 10

ब – आसूचना एवं सुरक्षा –

- 1 आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियाँ
- 2 वी.आई.पी. सुरक्षा
- 3 बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक
- 4 सुरक्षा उपकरणों की जानकारी
- 5 किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टीयों के आन्दोलन
- 6 आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता प्रम्बन्धी सामान्य जानकारी

कालांश – 16

स – विधि विज्ञान

- 1 फिंगर प्रिंट व पद चिन्ह (फिंगर प्रिंट व पद चिन्हों की पहचान, उन्हें उठाने के तरीके व पैकिंग का कार्य)
- 2 घटना स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही जैसे – नमूना खून आदि उठाना, प्रादर्श तैयार करना, पैक करना, सील करना व अग्रेषित करना (प्रेक्टिकल)
- 3 अपराध अन्वेषण में जैव खण्ड की वैज्ञानिक सहायता एवं उपयोग संदिग्ध आसव / संदिग्ध मादिरा, एन.डी.पी.एस द्रव्यों आदि के नमूनों का परीक्षण, अग्रेषण एवं परीक्षण
- 4 विष देने के संभावित प्रकरणों में विसरा एवं जैव तत्वों का भौत्व व परीक्षण
- 5 प्रलेख, लेख, हस्ताक्षरों के संबंध में विधि विज्ञान की सहायता व नमूनों का संकलन तथा परिणाम का उपयोग
- 6 आग्नेय अस्त्रों व विरक्षोटकों की जानकारी तथा उनके प्रकार
- 7 चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मृतक के शरीर पर पायें जाने वाले निशान, लक्षण तथा मृत्यु के कारण
- 8 D.N.A. ब्रेन मैपिंग, नारको टेस्ट की वैसिक जानकारी

कालांश – 22

घ – कम्प्यूटर बेसिक्स

Computer basics Period

1	Computer fundamental and importance of computer	01
2	Hardware and software of a computer system	01
3	Operating systems – windows (Theory, Practical)	1 + 2
4	Backup and storage Devices. Virus/Antivirus	01
5	Microsoft word – 2007 (Theory, Practical)	4 + 4
6	Microsoft excel – 2007 (Theory, Practical)	4 + 4
7	Overview of Networking – Internet, Searching & Emailing (Theory, Practical)	2 + 2
8	Overview of Cyber Crime	02
9	Overview of CCTNS	01

आन्तरिक मूल्यांकन

अंक :—50

क्र. सं.	विषय एवं संदर्भ
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि।
2	अनुशासन

राजस्थान पुलिस
सहा उप निरीक्षक से उप निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण	100	120		
	A शारीरिक प्रशिक्षण	10	60	—	—
	क – फ्री-हैण्ड पी.टी.	—	—	03	15
	ख – योगासन, प्राणायाम	—	—	05	45
	B ड्रिल	60	30	—	—
	क – टर्न आउट	—	—	10	—
	ख – खाली हाथ ड्रील	—	—	20	15
	ग – निर्देशात्मक योग्यता	—	—	30	15
	C भीड़ नियंत्रण एवं बलवा परेड	30	10	—	—
	क – यातायात नियंत्रण	—	—	07	01
	ख – भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबन्धन	—	—	08	01
	ग – बलवा परेड (एस.टी.एफ.पेटर्न पर)	—	—	10	07
	घ – आपदा प्रबन्धन एवं प्राथमिक चिकित्सा	—	—	05	01

2	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट एवं टेकिटक्स	100	20		
	A फील्ड क्राफ्ट एवं टेकिटक्स	10	07	-	-
	1. फील्ड क्रापट	02	-	-	01
	2 पेट्रोलिंग	02	-	-	01
	3. नाकाबन्दी	02	-	-	02
	4. अम्बुश	02	-	-	01
	5. घोराबन्दी	02	-	-	02
	B शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री	80	-	-	-
	क - शस्त्र ज्ञान	30	07	-	-
	1. 7.62 एमएम एसएलआर एवं .303 राईफल	-	-	08	02
	2. 9.एमएम पिस्टल / .38रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल	-	-	08	02
	3. 9 एमएम स्टेनगन / कारबाईन	-	-	04	01
	4 रबड बुलेट, प्लास्टिक पेलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड	-	-	06	01
	5. विस्फोटकों के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम ब्लॉरस्ट की किया विधि / विस्फोटक डिवाईस / विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।	-	-	04	01
	ख - मस्केट्री व फायरिंग	50	06		
	1. 7.62 एमएम एस.एल.आर. / .303 राईफल	-	-	-	-
	I) ग्रुपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	-	-	15	-
	II) एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट 4x4	-	-	15	-
	2. 9एमएम स्टेनगन / कारबाईन	-	-	-	-
	I एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड बैटलकाउच पोजीशन टारगेट फिगर -11	-	-	10	-
	II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेपिंडग पोजीशन टारगेट फिगर -11	-	-	10	-

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

1. 7.62 एमएम एस.एल.आर./.303 राईफल

मुष्पिंग	1"-4"	5"	6"	7"-8"	9"-10"	11"-12"	
अंक	15		13	12	10	09	08
एप्लीकेशन		बुल			इनर	मेकपाई	आउटर
अंक	3			2		1.5	.5

2. 9 एमएम स्टेनगन/ कारबाईन प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मोड्यूल्स का क्रम बार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं० दो एवं तत्पश्चात् क्रमबार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।